

29/6/22

पगावली पेज हुई। वाडी व वकील वाडी अशुपसि
कार-कार आवाज लगावामी गमी, आवाज लगावामे के
उपरान्त भी वाडी की ओर ले कोई उपस्थित नहीं
आता। अतः अशुपस्थित रहने ले वाडी का वाद
पत्र अदालत हाजरी अदालत पत्रकी में दखलीज किया
जता है। पगावली पत्राल शुभ्र होकर गमक
ले कर होकर दफ्तर दाखिल है।



(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)